2024/301

ालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

ं0:– 84 /2024 तारीखरजू:– 24/12/24

उनवान:– विकेश बनाम अतरसिंह वगै0
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

ंक	फर्द अहकाम	
24/12/24	प्रार्थी की ओर से श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायलान को बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही है। अतः प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिए तहसीलदार टोडाभीम एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहर के नोटिस जरिए रजिस्टर्ड ए.डी. से तलब होकर पत्रावली दिनांक 21.01.2025 को पेश हो। (पूजा मीना) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी	8296-8301 24/12/24
21/1/25	पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। पीठासन अधिकारी ~~कार्यालय में~~ ~~उपस्थित~~ है। गतानुसार दिनांक 20-2-25 को पेश हो	
20/2/25	पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। पीठासन अधिकारी ~~जनसुनवाई में उपस्थित~~ है। गतानुसार दिनांक 27-3-25 को पेश हो।	
27/3/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं प्रार्थी वकील कोई उपस्थित नहीं बार बार आवाज दिलाई गई इसके उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं इसलिए का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थी एवं प्रार्थी वकील की अदम [illegible] खारिज किया जाता है। [illegible] बमुताबिक [illegible] [illegible] उपलब्ध हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:21:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner